राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : F21/NRHM/JSY/2007/ 4880-5037 दिनांक : 6.10.07

समस्त प्राचार्य मेडिकल कॉलेज
समस्त संयुक्त निदेशक, जोन
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

विषयः— जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता/आशा सहयोगिनीको चैक से भुगतान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिलों के रिकार्ड का सत्यापन करने पर पाया गया है कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता/आशां सहयोगिनीयों के भुगतान में अनियम्नितताएँ हो रही है। जिससे योजना पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है।

अतः राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी भुगतान Bearer Cheque से किये जावे। साथ ही चैक पर सम्बन्धित प्रसूता/आशा सहयोगिनी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रभारी द्वारा प्रमाणित किया जावे। ताकि वित्तिय अनियमितता रोकी जा सके। आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन सभी चिकित्सकों से इसकी पालना सुनिश्चित करावें।

आदेश की कठोरता से पालना की जावें।

निदेशक (आर.सी.एच.)

क्रमांक : F21/NRHM/JSY /2007/ 5038-74 दिनांक : 6.10.07

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि० एवं स्वा० सेवायें, जयपुर, राज०
2. निजी सचिव, शासन सचिव (प०क०) एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम
3. समस्त ज़िलाधीश जिला.......................................
4. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच.
5. निजी सहायक, वित्तिय सलाहकार, एनआरएचएम
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.सी.एच.

निदेशक (आर.सी.एच.)